समाहरणालय, मुज़फ्फरपुर
ई-मेल – dm-muzaffarpur.bih@nic.in वेबसाइट - muzaffarpur.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स – 0621-2223010

पत्रांक - (जिला गोपनीय शाखा) दिनांक -

आदेश

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आदेश 2/एम.–24/2020–473(2) दिनांक–23.04.2020 के द्वारा Epidemic Disease Act-1897 के तहत Bihar Epidemic Disease, COVID-19 Regulations 2020 के तहत कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किये जाने का आदेश दिया गया है। आदेश की अवहेलना के आलोक में संबंधित व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे।

सभी आमजनों, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा के दुकानदार एवं वहाँ के कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने हेतु जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। N-95 मास्क के अतिरिक्त सामान्य दोहरे कपड़े से घर में सीले हुए/जीविका समूहों एवं अन्य समरूप समूहों द्वारा तैयार किये गये मास्क संक्रमण को रोकने के लिए कारगर है। N-95 मास्क COVID-19 की जाँच एवं चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए आवश्यक है। शेष पदाधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों के लिए Three Ply मास्क अथवा कपड़े के double layered मास्क काफी उपयोगी है। कपड़े से बने मास्क की सफाई कर उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर एवं सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में घर से बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग किये जाने से संबंधित आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। आदेश की अवहेलना के मामलों में संबंधित प्रावधान के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/-
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक – 1547/गो. दिनांक 24/4/20

प्रतिलिपि – सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अचंलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/अपर जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/जिला स्तरीय सभी कार्यालय प्रधान, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रतिलिपि – सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/प्राचार्य/अधीक्षक, एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/04/2020
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

Sri Krishan Medical College, Muz
Letter No:- 1590/20
Date:- 27/04/2020
Receiver Sign